

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

संख्या : 84/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-4/यु0हा0/2012-13 दिनांक 16/06/2014


अनुमति-एवं

वह अनुमति उ0प्र0 नमूर दियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही जाती है, किन्तु इस वह न रामशाश्वत चाहेगे कि उस गृही के सम्बन्ध में दिए गए समूह आदास (आर्कोडेक्स) मानवित्र स्वीकृत किए जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निषेध या इसका स्थानीय अधिकारी या उन्नित आदास फर्म के नालिकान अधिकारों पर कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी ले मिलिए वा स्थानीय के अधिकारों के विरुद्ध कोई अभाव नहीं लालेगी।

श्री वेद प्रकाश गोयल पुनर स्थान गोयल एवं श्रीमती सन्तोष गोयल पत्नी श्री वेद प्रकाश गोयल द्वारा आराजी संख्या-158, 159, 160 एवं 161 घटन तियनीता, पसगा-अरैल, तहसील-करकना, जिला-इलाहाबाद (शेतकरण 5224.00 वर्गमील) पर जोन संख्या (4) ले अन्तर्गत समूह आदास (आर्कोडेक्स) बहुमंजिले घटन के निर्णय हेतु लाभित्र वानित्र के प्रस्तावित शाखा ५२ निर्णय की अनुमति उपलब्ध महोदय के अनुग्रहनादेश दिनांक 30.05.2014 ये अस निम्नलिखित प्रतिबन्धों ले अधीन प्रदान की जाती है:-

- उपर्युक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 16ए (i) के भाविधानों के अनुसुचि पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपनीत/अधिभोग किया जायेगा, यद्यपि निर्णय एवं विकास उपरिधि 2008 गे उपरिधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 ने विस्तृत प्रक्रिया।
- योग्य कर पूर्णता प्रमाण-पत्र के उपरिधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 ने विस्तृत प्रक्रिया।
- इस रौप्यकृति अनियंत्रित (Provisional) रौप्यकृति के रूप में डोकी: निर्णय पूर्ण होने के उपरान्त, इनी अवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C. ली एवं पूर्ण करने के पश्चात् निर्मत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाहु ही इस परितर के प्रस्तुतिक उपरोक्त में लाया जा सकता।
- स्थल पर ५X३ फिल का एक दोर्ज लगाकर ग्रामिकरण द्वारा स्वीकृत मानवित्र राष्ट्रीय विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, यिसमें आर्कोडेक्स/इन्जीनियर ले जाने का नाम सी अंकित हो।
- स्थल पर ५ (50) अद्य दृश्य लगाने होंगे ज्या सूक्ष्म का हरा-भरा रखने का विषय आदेक का होगा।
- ऐनपटर हार्डिस्टेंस छां कार्य भाग के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्दा जल विभाग से अनुपत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एकूण ०३००० अवमुक्त किया जायेगा।
- चौलर बाटर हीटिंग संयन्त्र की रथापन, संयोजन प्लान किलेन, बाथरूम में दर्शित करते हुए प्रस्तुत लगाना होगा।
- उपर्युक्त २०१० अप्रृत्येक एक २०१० एवं लाल्स २०११ गे अक्षरण: पोलन करना होगा।
- प्रस्तुत समूह आदास मानवित्र १३८ आवासीय इकाई हेतु ही अतिरिक्त इकाइयों का निर्णय पूर्णतया गिरिष्ठ होगा।
- समस्त आन्तरिक विकास कार्य गानक के अनुसार स्वतः पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि बहुगंजिले भवन का निर्णय भूकंपसेक्षी मानवी के अनुरूप ही किया जाय।
- प्रस्तावित पार्क स्टेशन ७६६.०० वर्गमीटर पर कोई निर्णय अनुमत्य नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का उत्तिक्षण न किया जाय।

Received *संग्रह*
Sect. to Rep & Permit Dept
Abdullah Khan, Lepakha (761705507)
16-06-2014



SHEET NO:03



SHEET NO:01

TYPICAL FIRST,SECOND,THIRD,FOURTH,
FIFTH,SIXTH SEVENTH AND EIGHTH FLOOR
PLAN (D-3 and D4 SHALL BE
STILT/PARKING+5 ONLY)

